

कालिदास संस्कृत अकादमी म.प्र. संस्कृति परिषद्, उज्जैन
वर्ष-2017-18 में प्रकाशित संस्कृत की श्रेष्ठ कृतियों के लिए पुरस्कार
पुरस्कार नियमावली

म.प्र. शासन द्वारा संस्कृत की श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत करने की योजना के अंतर्गत म.प्र. संस्कृत परिषद् कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैन द्वारा 2 वर्षों का एक पैनल वर्ष मानते हुए 2 वर्षों में पहली बार प्रकाशित कृतियों में चयनित कृतियों को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार विवरण निम्नलिखित है -

01.	अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार (एक) रुपये 1,00,000/-	विषय-संस्कृत में रचित मौलिक सर्जनात्मक कृति (गद्य, पद्य, चम्पू तथा रूपक काव्य)
02.	प्रादेशिक पुरस्कार-(केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिए)	विषय-संस्कृत अथवा हिंदी रचित संस्कृत संबंधी समीक्षात्मक कृति
	(क) भोज पुरस्कार (एक) रुपये 51,000/-	विषय-पारम्परिक विद्वत्ता के क्षेत्र में सम्पादन अथवा संस्कृत में किसी साहित्यिक अथवा शास्त्रीय कृति का हिंदी अनुवाद/व्याख्या
	(ख) व्यास पुरस्कार (एक) रुपये 51,000/-	विषय-पारम्परिक अनुशासनों की संस्कृत अथवा हिंदी की रचनात्मक कृति
	(ग) राजशेखर पुरस्कार (एक) रुपये 51,000/-	

1. प्रादेशिक पुरस्कार केवल मध्यप्रदेश के निवासी लेखकों को दिये जायेंगे। निवासी शब्द की वही व्याख्या होगी जो सरकारी मामलों में बोनाफाइड की होती है। मध्यप्रदेश के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
2. अखिल भारतीय पुरस्कार के लिये भेजे जाने वाले ग्रन्थ पर नियम एक को छोड़कर शेष नियम लागू होंगे।
3. पुरस्कारों के लिये निर्धारित अवधि के लिए निर्दिष्ट प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकार की जायेंगी।
4. अकादमी को प्राप्त पुस्तक निर्धारित विषयों के अन्तर्गत होने पर ही पुरस्कार के परीक्षण हेतु स्वीकृत की जायेगी अन्यथा उसका कोई उत्तरदायित्व अकादमी का नहीं होगा। स्वीकृत पुस्तकों के सम्बन्ध में अन्य किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि पुरस्कार के निर्णय की घोषणा नहीं कर दी जाती।
5. पुरस्कार हेतु विषयान्तर्गत ग्रन्थ प्रकाशक भी भेज सकते हैं, लेकिन ग्रन्थ-लेखक से अपेक्षित घोषणाएँ भी लेखक से भिजवाने का दायित्व उनका ही होगा, अन्यथा ग्रन्थ पुरस्कार-योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. अखिल भारतीय अथवा प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त लेखक को पुरस्कृत वर्ष से आगामी 4 वर्ष तक उनकी किसी भी कृति के लिये पुरस्कृत नहीं किया जा सकेगा।
7. यदि लेखक ने किन्हीं दो पुरस्कारों के लिए ग्रन्थ भेजा हो और दोनों में वे पुरस्कार योग्य पाये गये हों तो किसी एक पर अंकों के आधार पर एक ही पुरस्कार दिया जायेगा।
8. ग्रन्थ के साथ लेखक द्वारा अपने विषय में सम्बन्धित घोषणा और प्रमाण पत्र वांछित जानकारियों तथा यथावश्यक प्रमाणीकरण सहित ग्रन्थ में चस्पाकर भेजा जाना अनिवार्य है। प्रमाणीकरण की वैधानिकता का पूरा उत्तरदायित्व लेखक पर होगा।
9. कृति का तात्पर्य व्यापक सर्जनात्मक रचना से है जिसके अन्तर्गत गद्य, पद्य, चम्पू तथा रूपक विधाएँ सम्मिलित हैं।

10. पुरस्कार के लिए ग्रन्थ की तीन प्रतियाँ भेजना आवश्यक है। प्रकाशित ग्रन्थ का प्रथम संस्करण ही स्वीकार्य होगा। प्राप्त ग्रन्थ वापस नहीं किये जायेंगे।
11. पुरस्कृत ग्रन्थ लेखक की मृत्यु हो जाने की दशा में पुरस्कार लेखक की पत्नी अथवा पुत्र/पुत्री को दिया जायेगा।
12. अकादमी द्वारा घोषित निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
13. पुरस्कार के लिए प्रेषित ग्रन्थों को निम्नलिखित पते पर भेजें तथा इस सम्बन्ध में समस्त पत्र व्यवहार भी इसी पते पर करे पता – निदेशक, कालिदास संस्कृत अकादमी, विश्वविद्यालय मार्ग, उज्जैन-456010 दूरभाष क्र. 0734-2515404 प्रविष्टि हेतु पुस्तक प्रेषण की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2019 है।

घोषणा-पत्र का प्रारूप

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि

(पुस्तक का नाम) मेरी मौलिक/अनूदित कृति है और वर्ष जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2018 के बीच पहली बार प्रकाशित हुई है।

यह विवादास्पद नहीं है। इससे पूर्व यह किसी अन्य नाम अथवा रूपान्तरण में प्रकाशित नहीं हुई है।

लेखक/लेखिका का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता